राजस्व वाद 68/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/181
दलीपसिंह बनाम् बालूसिंह वगैरह

– : : आदेश : : –

यत वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जालनियासयर तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 156 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये दिनांक 06.12.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव जो निर्णय का एक भाग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 दलीपसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 156 रकबा 11.3555 हैक्टेयर में से 1.4194 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग तथा 1.4194 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 नरपतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 156 रकबा 11.3555 हैक्टेयर में से 1.4194 हैक्टेयर उतरी मध्य भाग तथा 1.4194 हैक्टेयर दक्षिणी मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 राजूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 156 रकबा 11.3555 हैक्टेयर में से 1.4194 हैक्टेयर उतरी मध्य भाग तथा 1.4194 हैक्टेयर दक्षिणी मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 बालूसिंह उर्फ बल्लूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 156 रकबा 11.3555 हैक्टेयर में से 2.838875 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व शेष खेत खसरा नंबर 861/156 व 868/156 गैर मुमकिन रास्ते सम्पूर्ण यथावत रखे गये है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट में मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट– प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 14/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

6

Scanned with CamScanner